



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 8, सोमवार, शाके 1939-अक्टूबर 30, 2017
Kartika 8, Monday, Saka 1939-October 30, 2017

भाग 1 (ख)
महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
जन अभियोग निराकरण विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अक्टूबर 30, 2017

संख्या प.16(1)आरपीजी/2017:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (2011 की अधिनियम सं0 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0 प.13(3)प्र.सु./सम/अनु-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर 2011, समय समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, :-

- (i) सारणी के कॉलम संख्या-1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम सं0 3 की विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

25ए	टेलिकॉम केबल, डक्ट आदि डालने के लिए राईट ऑफ वें और/अथवा सड़क काटने की अनुमति प्रदान करना।						
	(1) आवेदन करने के उपरान्त राशि जमा करवाने हेतु तकनीमा देना।	10 दिवस	अधिशायी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति0 मुख्य अभियन्ता	
	(2) राशि मय बैंक गारंटी/अनुबन्ध/वन विभाग की अनापत्ति (जो भी आवश्यक हो) जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान करना।	7 दिवस	अधिशायी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	अति0 मुख्य अभियन्ता	

- (ii) सारणी के कॉलम संख्या-1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड 1 (।।) तथा कॉलम संख्या 5 की विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

(अ) जहां आवेदक द्वारा निगम से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राईट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता नहीं है।	(अ) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 7 दिवस अवधि में	सहायक अभियन्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	अधिशायी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता	
(ब) जहां आवेदक द्वारा निगम से सम्बन्धित सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर दी गई हैं एवं राईट ऑफ वे (RoW) की आवश्यकता है।	(ब) समस्त एवं संपूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना प्राप्ति पत्र के 15 दिवस अवधि में					

- (iii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 65ए एवं 65बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

65ए	राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापितियां प्रदाय) नियम 1973 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में <u>होटल बार/क्लब बार लाईसेंस जारी करना</u>	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि), राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।
65बी	राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापितियां प्रदाय) नियम 2004 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में <u>रेस्टोरेन्ट बार</u>	30 दिवस	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि) राजस्थान, उदयपुर	-	-	तकनीकी कारणों, यथा सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

(iv) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76जे एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 76के एवं 76एल एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :-

		भवन मानचित्र स्वीकृती के संबंध में						
	76के	भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना	7 दिन	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	—
	76एल	कम्प्लीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्प्लीशन/ ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	निदेशक आयोजना (विकास प्राधिकरण)/ वरिष्ठ अथवा उप नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास)	वरिष्ठ नगर नियोजक (विकास प्राधिकरण)/ सहायक नगर नियोजक (नगर सुधार न्यास) अथवा समकक्ष अधिकारी	सचिव (विकास प्राधिकरण)/ नगर सुधार न्यास	आयुक्त (विकास प्राधिकरण)/ चैयरमेन (नगर सुधार न्यास)	—

(v) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 108ए से 108एम एवं उसकी प्रविष्टिया जोडी जायेगी, अर्थात :-

	108ए	नाम हस्तान्तरण।	07 दिवस	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) <u>पालिका स्तर पर</u> अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	<u>निगम स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर (संबंधित) <u>नगर परिषद स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक <u>नगर पालिका स्तर पर</u> राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/लिपिक (संबंधित)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
	108बी	भू-राजस्व अधिनियम की धारा-90ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण/नियमन/आवंटन।	60 दिवस	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) <u>पालिका स्तर पर</u> अधिशाषी अधिकारी (संबंधित)	<u>निगम स्तर पर</u> नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) <u>नगर परिषद स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता/कार्यालय सहायक/कैशियर/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) <u>नगर पालिका स्तर पर</u> कनिष्ठ अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
	108सी	भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही।	60दिवस	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त	<u>निगम स्तर पर</u> नगर नियोजक /सहायक अभियन्ता/ राजस्व अधिकारी/कार्यालय	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित	नगर निगम/परिषद/पालिका

			(संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	नगरीय निकाय	मण्डल संबंधित निकाय
108डी	राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत ले-आउट प्लान अनुमोदन।	45दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	उप / सहायक नगर नियोजक / नगर नियोजन सहायक / वरिष्ठ प्रारूपकार / सहायक अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता / संबंधित लिपिक	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108ई	उप-विभाजन व पुर्नगठन	30 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108एफ	लीजडीड / पट्टा जारी किया जाना।	15 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108जी	भवन मानचित्र अनुमोदन (यदि आवश्यक हो तो) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (आवासीय) भूखण्ड का	15 दिवस	निगम / परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय

			क्षेत्रफल 225 व. मी. तक (व्यावसायिक) भूखण्ड का क्षेत्रफल 500 व. मी. तक (औद्योगिक)		अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)			
			भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से कम (समस्त उपयोग)	21 दिवस	निगम/परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
			भूखण्ड का क्षेत्रफल 1000 व.मी. से अधिक (समस्त उपयोग)	30 दिवस	निगम/परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर नगर नियोजक / सहायक अभियन्ता / राजस्व अधिकारी / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / संबंधित लिपिक कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (संबंधित) नगर परिषद स्तर पर राजस्व अधिकारी / कनिष्ठ अभियन्ता / कार्यालय सहायक / कैशियर / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता / राजस्व निरीक्षक / कार्यालय सहायक / वरिष्ठ लिपिक / वरिष्ठ प्रारूपकार (इनमें से नामांकित अधिकारी)	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
	108एच	ट्रेड लाईसेंस जारी किया जाना।		07 दिवस	निगम/परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	डिलिंग क्लर्क / स्वास्थ्य निरीक्षक / सफाई निरीक्षक / स्वास्थ्य अधिकारी	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	
	108आई	अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र।		07 दिवस	निगम/परिषद / स्तर पर आयुक्त / उपायुक्त (संबंधित) पालिका स्तर पर अधिकाारी अधिकारी (संबंधित)	निगम स्तर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी / जोन आयुक्त लेखाकार / संबंधित लिपिक / कैशियर नगर परिषद स्तर पर अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय सहायक) नगर पालिका स्तर पर कनिष्ठ अग्निशमन अधिकारी (अग्निशमन सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी / कर्मचारी कार्यालय	महापौर / सभापति / अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम / परिषद / पालिका मण्डल संबंधित निकाय	

				सहायक		
108जे	पूर्णता/अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना। • प्लिनथ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना • कम्प्लीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	7 दिवस 8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण + 1 दिन कम्प्लीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु)	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) <u>पालिका स्तर पर</u> अधिकांशी अधिकारी (संबंधित)	<u>निगम स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर <u>नगर परिषद स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक <u>नगर पालिका स्तर पर</u> राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108के	लीज राशि जमा एवं लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना।	07 दिवस	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) <u>पालिका स्तर पर</u> अधिकांशी अधिकारी (संबंधित)	<u>निगम स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर <u>नगर परिषद स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक <u>नगर पालिका स्तर पर</u> राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108एल	नगरीय विकास कर जमा कराना।	03 दिवस	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) <u>पालिका स्तर पर</u> अधिकांशी अधिकारी (संबंधित)	<u>निगम स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक/संबंधित लिपिक/कैशियर <u>नगर परिषद स्तर पर</u> राजस्व अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक <u>नगर पालिका स्तर पर</u> राजस्व निरीक्षक/कार्यालय सहायक/वरिष्ठ लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय
108एम	सीवर कनेक्शन जारी करना।	03 दिवस	<u>निगम/परिषद / स्तर पर</u> आयुक्त/उपायुक्त (संबंधित) <u>पालिका स्तर पर</u> अधिकांशी अधिकारी (संबंधित)	<u>निगम स्तर पर</u> वरिष्ठतम् तकनीकी अधिकारी/(अभियंता) अधीक्षण अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक <u>नगर परिषद स्तर पर</u> सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक <u>नगर पालिका स्तर पर</u> सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/संबंधित लिपिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका मण्डल संबंधित निकाय

(vi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 21 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 128 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या 128ए एवं 128बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

"

	128ए	(i) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी एवं भू-रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति- (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 7 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	- -	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
		(ii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भू-कर में 50 प्रतिशत छूट की स्वीकृति- (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	- -	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
		(iii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान की स्वीकृति (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 75 दिवस की अवधि में।	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र आयुक्त, उद्योग	- -	आयुक्त, उद्योग अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग
		(iv) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सेक्टर में ब्याज अनुदान की स्वीकृति (अ) वृहद स्तर की मैन्यूफैक्चरिंग एवं सभी पात्र सेवा एन्टरप्राइजेज। (ब) सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम एन्टरप्राइजेज	पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में। पत्रावली पूर्ण होने से 60 दिवस की अवधि में।	आयुक्त, उद्योग केन्द्र आयुक्त, उद्योग/वह अधिकारी जिसे आयुक्त, उद्योग द्वारा शक्तियां प्रदत्त है।	- -	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग आयुक्त, उद्योग	मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उद्योग मुख्य सचिव

			(v) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत टैक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग एवं आई.टी. सेक्टर में ब्याज अनुदान का वितरण	पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में।				
			(vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत निवेश अनुदान एवं रोजगार सृजन अनुदान का वितरण	पत्रावली पूर्ण होने से 30 दिवस की अवधि में।	सहायक आयुक्त / वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग	-	उप आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
		128वीं	(1) भूमि आवंटन के लिये अ. लाटरी के तहत ब. पहले आओ पहले पाओ के तहत सं. पसंद के अनुसार	30 कार्य दिवस 30 कार्य दिवस 90 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको कमेटी द्वारा जिसके सदस्य हैं, प्रबन्ध निदेशक, रीको, प्रबन्ध निदेशक, आर.एफ.सी., आयुक्त, उद्योग एवं आयुक्त, बीप	- - -	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको अध्यक्ष, रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको प्रबन्ध निदेशक, रीको रीको के निदेशकों के मण्डल की इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कमेटी
			(2) जल कनेक्शन हेतु	20 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको
			(3) भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु	15 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको
			(4) अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु (औद्योगिक भवनों हेतु)	8 कार्य दिवस	सम्बन्धित इकाई प्रभारी, रीको	-	सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर), रीको	प्रबन्ध निदेशक, रीको

(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 23 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 24 व 25 उसकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात :-

24	सहकारिता विभाग	146	सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत सोसाईटी का पंजीकरण करना	पूर्व पत्रादि / ऑनलाईन आवेदन करने के तीस कार्य दिवस के भीतर	रजिस्ट्रार, संस्थाएं, संबंधित ईकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय रजिस्ट्रार, संस्थाएं में पदस्थापित तकनीकी सहायक / निरीक्षक, जिसे की रजिस्ट्रार, संस्थाएं, द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया (संबंधित खण्ड)	रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया, राजस्थान जयपुर	तकनीकी कारणों यथा-सर्वर डाउन होने, बिजली आपूर्ति नही होने, कम्प्यूटर सिस्टम खराब होने आदि की स्थिति में विभागीय सेवा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही करायी जा सकेगी।
		147	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	उप रजिस्ट्रार, संबंधित ईकाई, सहकारिता विभाग	कार्यालय उप रजिस्ट्रार, इकाई में पदस्थापित तकनीकी सहायक/निरीक्षक, जिसे कि उप रजिस्ट्रार, इकाई द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव	
		148	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संबंधित खण्ड, सहकारिता विभाग	कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड में पदस्थापित तकनीकी सहायक/निरीक्षक, जिसे कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार, खण्ड द्वारा इस हेतु आदेशित किया जाए।	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव	
		149	राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीकरण करना।	आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिवस के भीतर-भीतर	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान	संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम), सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।	अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव	राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण	
25	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल	150	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	गुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
					क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

151	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी		जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
152	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
153	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति	चार माह	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी		वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
154	परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं पारगमन) नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार	120 दिन	सदस्य सचिव	ग्रुप प्रभारी	शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	
			क्षेत्रीय अधिकारी		शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	

11

राज्यपाल के आदेश से
(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

नोट:- अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 सारणी के कॉलम संख्या-1 के क्रम संख्या 4 के सामने कॉलम सं0 3 की विद्यमान क्रम संख्या 25 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या 25ए एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी गई।
अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 सारणी के कॉलम संख्या-1 के क्रम संख्या 7 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 44 के सामने कॉलम संख्या 4 के खण्ड 1 (11) तथा कॉलम संख्या 5 की विद्यमान प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया गया।
अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 11 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 65 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या. 65ए एवं 65बी एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी गई।
अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 13 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 76जे एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या. 76के एवं 76एल एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी गई।
अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108 एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नई क्रम संख्या 108ए से 108एम एवं उसकी प्रविष्टिया जोड़ी गई।
अधिसूचना संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु-1/2008 दिनांक 05.10.2011 सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्या 23 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात नये क्रम संख्या 24 व 25 उसकी प्रविष्टिया जोड़ी गई।